FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0256 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/10/2025 20:09 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 29/09/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:20 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/10/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/10/2025 20:09:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** JHAMRI, BAYANA BHARATPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ROOP SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHUBIRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MALPURA, BHUSAWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MALPURA, BHUSAWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	UDAI SINGH		पिता:JAGGORAM	1. ASI POLICE STATION,BHUSAWAR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	40000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरी व मेरे भाईयों की गांव में खसरा नं.- 287, 288 कुल 12.5 बीगा जमीन है। जो मेरे बाबा ने दिनांक 04.01.1971 को बद्री प्रसाद पुत्र हिन्डोली मीना से खरीदी थी। उस समय मेरे बाबा ने उक्त जमीन का नामान्तकरण नहीं खुलबाया था। कुछ समय बाद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जमीन अन्य जाति के नाम होने पर सरकार द्वारा रोक लगाने के कारण हमारी जमीन का नामान्तकरण नहीं खुला था। उक्त जमीन को मै व हमारे परिवारजन सन् 1971 से बोते चले आ रहे है। उक्त जमीन को लेकर हमारें परिवार व महेश मीणा,सिरमौहर मीणा,धनसी मीणा,गिलास मीणा,रामप्रसाद मीणा के बीच विवाद हो गया था। लडाई झगडे व विवाद के कारण उक्त जमीन को उपखण्ड मजिस्ट्रेट भुसावर ने जमीन को सरकार के अधीन लेने की कार्यवाही प्रारम्भ कर पुलिस थाना भुसावर से रिपोर्ट मॉगी। उक्त रिपोर्ट को तैयार करने की एवज में पुलिस थाना भुसावर के श्री उदय सिंह एएसआई मेरे घर आये और मेरे से हमारे प्रक्ष में रिपोर्ट तैयार करने की एवज में 60 हजार रूपये रिश्वत की मॉग की । मेरी उदय सिंह एएसआई से कोई रंजिश नहीं है। और न ही कोई लेन देन बकाया है। मै ऐेसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हू। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी रूप सिंह पुत्र खूबीराम जाति जाटव उम्र- 45 साल निवासी मालपुरा पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर मो0[redacted] दिनांक 27.09.25 , एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 27.09.25, एसडी पवन कुमार 28.09.25, एसडी श्री उमेशचंद 28.09.25। कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 27.09.2025 समय 11.30 ए.एम पर परिवादी श्री रूपसिंह पुत्र श्री खूबीराम उम्र- जाति जाटव निवासी मालपुरा पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरी व मेरे भाईयों की गांव में खसरा नं.- 287,288 कुल 12.5 बीगा जमीन है। जो मेरे बाबा ने दिनांक 04.01.1971 को बद्री प्रसाद पुत्र हिन्डोली मीना से खरीदी थी। उस समय मेरे बाबा ने उक्त जमीन का नामान्तकरण नहीं खुलबाया था। कुछ समय बाद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जमीन अन्य जाति के नाम होने पर सरकार द्वारा रोक लगाने के कारण हमारी जमीन का नामान्तकरण नहीं खुला था। उक्त जमीन को मै व हमारे परिवारजन सन् 1971 से बोते चले आ रहे है। उक्त जमीन को लेकर हमारें परिवार व महेश मीणा,सिरमौहर मीणा,धनसी मीणा,गिलास मीणा,रामप्रसाद मीणा के बीच विवाद हो गया था। लडाई झगडे व विवाद के कारण उक्त जमीन को उपखण्ड मजिस्ट्रेट भुसावर ने जमीन को सरकार के अधीन लेने की कार्यवाही प्रारम्भ कर पुलिस थाना भुसावर से रिपोर्ट मॉगी। उक्त रिपोर्ट को तैयार करने की एवज में पुलिस थाना भुसावर के श्री उदय सिंह एएसआई मेरे घर आये और मेरे से हमारे प्रक्ष में रिपोर्ट तैयार करने की एवज में 60 हजार रूपये रिश्वत की मॉग की । मेरी उदय सिंह एएसआई से कोई रंजिश नहीं है। और न ही कोई लेन देन बकाया है। मै ऐेसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हू। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। तत्पश्चात समय 11.40 ए.एम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में श्री दिलीप कुमार कानि. के समक्ष श्री राजेन्द्र सिंह कानि.नं.- 106 से कार्यालय की आलमारी में से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर नया मैमोरी कार्ड डले हुए को निकलवाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री रूप सिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री राजेन्द्र कुमार कानि.को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी रूप सिंह को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं श्री राजेन्द्र सिंह कानि.को राजेन्द्र सिंह कानि. की निजी मोटर साईकिल से पुलिस थाना भुसावर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.00 पीएम पर श्री राजेन्द्र सिह कानि.उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया। श्री राजेन्द्र सिंह कानि.से वॉईस रिकॉर्डर को जरिये फर्द प्राप्त किया गया तथा श्री राजेन्द्र कुमार कानि. ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को

बताया कि मैं और परिवादी रूपसिंह कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना भुसावर के पास पहुंचे जहां मैने वाइस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना भुसावर के लिये रवाना कर दिया थोडी देर बाद परिवादी ने मेरे पास आकर बताया कि आरोपी उदय सिंह एएसआई साहब थाने के अन्दर नहीं है उनके कमरे का ताला लग रहा है। इसके बाद मेरे समक्ष परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री उदय सिंह एएसआई के मोबाईल नम्बर [redacted] .पर वार्ता की तो आरोपी उदय सिंह एएसआई ने परिवादी को चैंटोली आने के लिये कहां तो इसके बाद मैने परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैं व परिवादी मेरी मोटरसाईकिल से भुसावर से रवाना होकर चैंटोली पहुचे जहां मैने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर परिवादी को सुपुर्द कर दिया इसके बाद मैं परिवादी व आरोपी से कुछ दूरी पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा हो गया। इसके बाद परिवादी मेरे पास आया मैने परिवादी को सुपुर्द शुदा वाइस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया परिवादी ने मुझे बताया कि आरोपी उदय सिंह एएसआई साहब से मेरी बात हो गयी हैं मेरे से कहां कि तेरे भाई को बता तो दिये और मेरे 35,000 बोलने पर हसने लग गया और कहां जो है वो ठीक है। मेरे इस्तगासे को मेरे पक्ष में रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम कार्यालय भेजने की एवज में एक पत्ते पर लिखकर 50,000/- रूपये रिश्वत की मांग की और मेरे निवेदन करने पर एक दूसरे पत्ते पर 40,000/- रूपये लिखकर रिश्वत की मांग कर कल 28.09.2025 को 40,000/- रूपये लेकर बुलाया है और काम नहीं होने पर उक्त रिश्वत राशि वापिस करने के लिये कहा है और परिवादी ने कहा कि जो रिश्वत पेड के पत्तों पर लिखी थी वह पत्ते वहीं पडे है परिवादी ने मुझे साथ ले जाकर उक्त पत्तों को उठाकर मुझे दिया जिन्हे मैं साथ लेकर आया हूं और परिवादी को आपके निर्देशानुसार रिश्वत राशि की व्यवस्था करने व आवश्यक कार्य होने से कल दिनांक 28.09.2025 को कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर भुसावर छोडकर कार्यालय आ गया। श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 ने उक्त पेड के पत्तों को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर कर चालु कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इस पर वॉईस रिकॉर्डर मय एस डी कार्ड व उक्त रिश्वत राशि लिखे पत्तों को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा एवं पत्ते सूखने पर नष्ट होने की संभावना होने से पत्तों की लेमिनेशन कराकर रंगीन फोटो प्रति कराई जावेगी। इसके बाद दिनांक 28.09.2025 समय 11.38 ए.एम. पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवश्यकता होने पर कार्यालय अवकाश होने से श्री दिलीप सिंह कानि0 610 के मोबाइल नम्बर[redacted] से अधिशाषी अभियंता श्री केशवदेव पांडे जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग नगर खंड भरतपुर के मोबाइल पर फोन कर स्वतन्त्र गवाह भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय 01.20 ए.एम. पर परिवादी रूप सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिसने बताया कि मै आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 40,000 रूपये का इन्तजाम करके लेकर आया हूं। परिवादी ने श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को दिनांक 27.09.25 को बताई गई सत्यापन वार्ता को पुनः दोहराया। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 01.30 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिनको मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री पवन कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार जाति बलाई उम्र 31 वर्ष निवासी भांवता थाना कोलवा ग्राम जिला दौसा हाल निजी सहायक ग्रेड द्वितीय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड भरतपुर श्री उमेश चन्द पुत्र श्री बाबूलाल जाति जाटव उम्र 53 वर्ष निवासी ब्रजनगर थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल पम्प चालक द्वितीय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग जिला उपखण्ड भरतपुर जिनको कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी रूपसिंह से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 27.09.25 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया एवं वॉइस रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रखा गया। दोनो गवाहान परिवादी के समक्ष पत्ते सूखने पर नष्ट होने की संभावना होने से पत्तों की लेमिनेशन कराकर रंगीन फोटो प्रति कराई गई। रंगीन फोटो प्रति पर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई एवं लेमीनेशन कराये गये पत्तों को कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित जमा करवाया गया। तत्पश्चात समय 02.00 पी.एमः पर दोनो मौतबिरान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री रूपसिंह पुत्र श्री खूबीराम उम्र- जाति जाटव निवासी मालपुरा पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 80 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 40,000/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- 9HQ158698, 9AM341273, 5BV810876, 6CN368385, 8UR184516, 8MG327679, 5AS409205, 3PB751227, 5QD138733, 5MU270504, 1QQ720131, 7SB406297, 8WA595885, 6QC175948, 1PW634408, 6UN134942, 5DC104136, 4ND084974, 4FN849355, 0CM010878, 4MH064977, 3AE625582, 6PF491460, 6HV577445,

8VA888503, 1QC400283, 9CE635058, 9HT953706, 0WH760564, 5MB765395, 0WS309499, 0AN547893, 4FU675340, 4SW760033, 2GL101240, 1DU971210, 0LD144675, 5KD558675, 4CN950154, 8AK677116, 7LT427855, 3WS381892, 0AT439778, 0MH577789, 6WH928071, 6WH928070, 9BM459192, 4NK668880, 9MK659122, 8VB450065, 0RS566400, 9AB156762, 0FS208958, 1VC706351, 6PD867993, 5BQ509754, 2LT956853, 4DN442704, 6RS993758, 2CS087909, 1WM609759, 9UL794094, 7TP024318, 4FE868023, 1NU821414, 6TH621611, 5SD599237, 2CV511230, 6QD747445, 8VU317658, 0BA233175, 6TA044973, 7KS532446, 7FL615839, 8FG111636, 9QN468004, 2SM689013, 4BU441544, 8AB170254, 0BN580688, उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री अवधेश हैड कानि0 68 से मालखाना खुलवाकर मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा मंगवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री अवधेश हैड कानि0 68 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री रूप सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 40000/-रूपये के नोटों को श्री अवधेश हैड कानि0 68 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट बांयी तरफ की पीछे की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री उमेश चंद से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री अवधेश हैड कानि0 68 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बे को बंद ढक्कन कराकर श्री अवधेश हैड कानि0 68 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री अवधेश हैड कानि0 68 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 02.50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री रूपसिंह मय श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 610, श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64, श्री सुरेश कुमार कानि. नं. 185, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 , श्री परसराम कानि. नं. 203 मय निजी कार एवं सरकारी वाहन बोलेरो मय मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स के भुसावर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 03.45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा राजा मंडी चौराहे के पास भुसावर पहुंचा जहां वॉइस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी के मोबाइल नं. [redacted] से आरोपी के मोबाइल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाया तो आरोपी ने राजामंडी चौराहे के पास ही आने को कहा जिस पर वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को वॉइस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर आरोपी से मिलने राजामंडी चौराहे के पास रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक, व इनके पीछे पीछे श्री दिलीप सिंह कानि0, श्री रितेश कुमार कानि. को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। तत्पश्चात समय 04.10 पी.एम पर परिवादी श्री रूपसिंह मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया जिससे पूर्व से सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित अपने पास रखा गया। तत्पश्चात परिवादी ने दोनो गवाहान के समक्ष बताया कि मुझे थानेदार जी ने कल बुलाया है और कहा है कि आपके नम्बर है मेरे पास आप जाओ। इस पर परिवादी को पूर्व से सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह के समक्ष निकालकर श्री दिलीप

कुमार कानि. को एक खाकी लिफाफे में रखकर सुरक्षित रखवाई गई। एवं परिवादी को बाद हिदायत रूखसत किया गया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय रिश्वत राशि मय निजी व सरकारी वाहन मय समस्त साजो सामान के रवाना एसीबी चौकी भरतपुर हुआ। तत्पश्चात समय 05.10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स मय साजो सामान के उपस्थित एसीबी कार्यालय आया एवं ट्रेप बॉक्स को मालखाना में सुरक्षित रखवाया एवं रिश्वत राशि के लिफाफे व वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 29.09.25 समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री रूपसिंह से जरिए मोबाइल सूचना मिली कि मैं मेरी बेटी की ससुराल ग्राम झामरी में हूं थानेदार उदयसिंह मेरे से यही मिलने आ रहे हैं। उक्त सूचना पर जरिए मोबाइल पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान को तलब किया गया जो उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात समय 11.30 ए.एम इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय रिश्वत राशि 40,000 रूपये मय वॉइस रिकॉर्डर मय श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 610, श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64, श्री सुरेश कुमार कानि. नं. 185, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 , श्री परसराम कानि. नं. 203 मय दो निजी कार एवं सरकारी मोटरसाइकिल मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स, वॉइस रिकॉर्डर एवं रिश्वत राशि के लिफाफे को सुरक्षित सुरेश कुमार कानिस्टेबल के पास रखवाया जाकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही ग्राम झामरी रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा परिवादी के बताए अनुसार परिवादी की बेटी की ससुराल ग्राम झामरी पहुंचा जहां झामरी गांव से बाहर सडक पर जरिए मोबाइल तलबशुदा परिवादी रूपसिंह उपस्थित मिला जिसने बताया कि थानेदारजी मुझसे रूपये लेने मेरी बेटी के घर ही आ रहे हैं इस पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री सुरेश कुमार कानिस्टेबल से रिश्वत राशि को लिफाफे से निकलवाकर रिश्वत राशि का मिलान पूर्व से तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया जाकर रिश्वत राशि को सीधे ही परिवादी के पहने हुए पेंट की बाई जेब में सुरक्षित रखवाया गया एवं परिवादी को हिदायत दी गई उक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक हाथ नही लगावे एवं आरोपी के मांगने पर ही सुपुर्द करे एवं वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर परिवादी को रिश्वत लेन देन वार्तालाप को रिकार्ड करने के लिए सुपुर्द किया गया एवं श्री सुरेश कानि. को कार्यवाही से पृथक किया जाकर रवाना एसीबी चौकी भरतपुर किया गया एवं ट्रेप टीम मय स्वतंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से साफ करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी की मोटर साईकिल से परिवादी के साथ श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय- 02.05 पी.एम- इस समय श्री राजेन्द्र कानि. ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिए मोबाइल बताया कि लालाराम ने अभी मुझे बाहर आकर बताया कि आरोपी , परिवादी को लेकर गांव के बाहर किसी भगतजी के यहां पानी की टंकी के पास ले गया है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने निर्देषित किया कि आप व रीतराम सिंह एएसआई , परिवादी की मोटरसाइकिल लेकर आरोपी का पीछा करे एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के अपने निजी वाहनों से व सरकारी मोटरसाइकिल से आरोपी के पीछे पीछे दूरी बनाते हुए पानी की टंकी के पास भगतजी के मकान के पास रवाना हुए। तत्पश्चात समय 02.20 पी.एम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री रूप सिंह के नियत ईशारे की सूचना जरिए मोबाइल श्री राजेन्द्रसिंह कानि. से प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के पानी की टंकी के पास गा्रम झामरी में परिवादी के पास पहुॅचा जहाँ परिवादी ने बताया कि आरोपी उदय सिंह सहायक उप निरीक्षक ने अपने परिचित भगतजी के घर पर अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि 40,000/- हजार रूपये लेकर एक व्यक्ति को दे दिये हैं उक्त व्यक्ति अभी अभी मुझे रिश्वत राशि लौटाकर गया और कहा कि थानेदार जी उक्त रूपये छोडकर भाग गये हैं और अपना हैलमेट भी छोड गये हैं और थानेदार जी डहरा मोड की तरफ अपनी मोटर साईकिल को लेकर बहुत तेज स्पीड से भाग गये है । रिश्वत राशि मैंने मेरे पास रख ली है थानेदार जी ने सफेद टीशर्ट व सफेद पायजामा व पैरो में लाल जूते पहन रखे है और पीठ पर काले रंग का बैग टंगा हुआ है और काले रंग की हीरो की नई मोटरसाइकिल से गया है और हेलमेट नही है और सर पर बाल नही है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी के फरार होने की संभावना के कारण हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के मय निजी वाहन एवं सरकारी मोटरसाइकिल से आरोपी का पीछे करते हुए बांसी खुर्द पहुंचा जहां परिवादी के बताए हुलिया अनुसार एक व्यक्ति हीरो की काले रंग की नई मोटरसाइकिल से बहुत तेजी से भरतपुर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय निजी वाहनों एवं सरकारी मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए लुधावई टोल पर रूकवाकर अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति बहुत ज्यादा घबराया हुआ था एवं अपने दोनों हाथों को रगडने लगा जिस पर उक्त व्यक्ति का दांया हाथ श्री दिलीप कुमार कानि. से एवं बांया हाथ श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक से कलाइयों के ऊपर से पकडवाया जाकर पुनः तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो अपना नाम उदयसिंह पुत्र श्री जग्गोराम उम्र 54 साल जाति धोबी निवासी गामरी पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर होना बताया

। जिससे रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैंने कोई रिश्वत की मांग नही की नाही किसी से कोई रिश्वत ली है। उक्त स्थान पर काफी भीडभाड हो जाने पर व कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना होने से आरोपी को हाथ पकडी हुई अवस्था में मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता मय परिवादी मय ट्रेप बॉक्स , लैपटॉप प्रिन्टर व अन्य साजोसामान के लुधावई टोल से रवाना होकर एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा। इसके बाद आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक को बार-बार रिश्वत लेने के सम्बंध मे पूछा तो बताया कि मैंने कोई रिश्वत नही ली है इसके बाद परिवादी श्री रूपसिंह ने आरोपी की बातों का खंडन करते हुए बताया कि ये थानेदारजी झूंठ बोल रहे है दिनांक 27.09.25 को थानेदार जी से मेरी मोबाइल पर वार्ता हुई तो मुझे ग्राम चेंटोली बुलाकर पेड के पत्ते पर लिखकर पहले 60,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी मेरे निवेदन करने पर पुनः दूसरे पत्ते पर 50,000 रूपये लिखकर रिश्वत की मांग की मेरे पुनः निवेदन करने पर 40,000 रूपये एक पत्ते पर लिखकर लेने पर सहमत हो गये एवं मुझे अगले दिन दिनांक 28.09.25 को रिश्वत राशि 40,000 रूपये लेकर आने के लिए कहा था। इसके बाद दिनांक 28.9.25 को मैं आपकी ट्रेप टीम के साथ भुसावर राजामंडी चौराहे के पास मिला तो मुझसे थानेदार जी रिश्वत राशि नही ली और अगले दिन दिनांक 29.09.25 को आने के लिए कहा या फिर थानेदारजी ने फोन कर बुलाने के लिए कहा था। आज दिनांक 29.09.25 को थानेदारजी ने मुझे फोन कर पूछा कहां है तो मैंने बताया कि मैं मेरी बेटी की ससुराल झामरी गांव में हूं तो थानेदारजी ने मुझसे झामरी गांव ही आने के लिए कहा और झामरी गांव आकर मेरी बेटी के घर पर मेरे काम के सम्बंध में बात कर रिश्वत राशि लेने के लिए मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने परिचित भगतजी के घर गांव झामरी से बाहर लेकर गया जहां मेरे से रिश्वत राशि 40,000 रूपये लेकर भगतजी के घर चारपाई पर रख दिये इसके बाद थानेदार जी पानी से अपने हाथ धोने लग गये थे और मैं बाहर आ गया था तो कुछ समय बाद भगतजी के यहां बैठा हुआ एक व्यक्ति दौडकर मेरे पास आया और उस राशि को लौटा गया और कहा की थानेदार जी तो रूपये छोडकर अपनी मोटरसाइकिल से बहुत तेजी से भाग गये हैं। उक्त लेनदेन सम्बंधी वार्तालाप वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जो मैंने राजेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द कर दिया जिसे बंद कर श्री राजेन्द्र कानि. ने अपने पास रख लिया। श्री राजेन्द्रसिंह कानि. से वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा एवं परिवादी के पास रखी हुई रिश्वत राशि को गवाह श्री उमेशचंद के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर एसीबी कार्यालय भरतपुर में रखे हुए पानी के केम्पर से पानी मगवा कर गिलासों को साफ करवाकर डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह पवन कुमार से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री उमेशचंद के पास रखी हुई रिश्वत राशि का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त हाथ धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा अपने मोबाईल से की गई। उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद समय 03.50 पी.एम. पर श्री जोगेन्द्र सिंह एएसआई मय श्री राजेन्द्र कानि.नं. 106 , श्री देवेन्द्र सिंह कानि. नं. 221 मय परिवादी श्री रूपसिंह मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक श्री विजयसिंह व सरकारी वाहन टवेरा चालक श्री रोशनलाल के ग्राम झामरी से परिवादी के बताये अनुसार भगतजी व उक्त व्यक्ति को लाने हेतु रवाना किया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। तत्पश्चात समय 7.30 पी.एम. पर श्री जोगेन्द्र सिंह एएसआई मय हमराही जाब्ता मय परिवादी के बताये अनुसार अन्य दो व्यक्तियों के उपस्थित कार्यालय आये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त दोनो व्यक्तियों को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए आरोपी उदयसिंह थानेदार व परिवादी से परिचय कराकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री घंशी पुत्र श्री परभाती उम्र 60 साल जाति धोबी निवासी ग्राम झामरी होना बताया व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम विक्रम सिंह पुत्र श्री घंशीराम उर्फ भगतजी जाति धोबी उम्र 32 साल निवासी ग्राम झामरी होना बताया । इसके बाद श्री घंशीराम से आरोपी उदयसिंह से जानकारी व रिश्वत के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैं थानेदार जी पहले बयाना थाने में

नौकरी करते थे तब में किसी मुकदमें के सिलसिले में मेरे एक रिश्तेदार के साथ गया था तब मेरा परिचय इनसे हुआ था , थानेदारजी मेरे समाज के है तथा आज दिनांक 29.09.25 को उदयसिंह थानेदार जी मेरे घर पर एक व्यक्ति रूपसिंह को लेकर आये थे और बताया कि ये तुम्हारे गांव के ही रमन जी के रिश्तेदार है इनका कोई मुकदमा है जिसमें मैं इनकी मदद कर रहा हूं। और थानेदार जी कह रहे थे कि यदि इनका काम हो जाएगा तो मैं इनके सामान को रख लूंगा नही तो इनको लौटा दूंगा इसके बाद थानेदारजी ने रूपसिंह से रूपये लेकर चारपाई पर रख दिये इसके बाद रूपसिंह वहां से बाहर चला गया और थानेदारजी रूपयों को चारपाई पर ही छोडकर हमे रखने की कहा तो मैंने थानेदारजी से रूपये अपने पास रखने की मना कर दिया कि मैं इन रूपयों को क्यूं रखू हमारा इनसे क्या लेना देना तभी थानेदार जी अचानक ही मोटरसाइकिल लेकर अपने हेलमेट को वहीं छोडकर भाग गये। इसके बाद मैने मेरे बेटे विक्रम सिंह को कहा कि थानेदारजी तो भाग गये तू इन रूपयों को वापस रूपसिंह को लौटा कर आ , इसके बाद मेरा बेटा विक्रमसिंह , रूपसिंह को रूपये लौटा कर घर आ गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने विक्रमसिंह से परिवादी रूपसिंह को रिश्वत राशि लौटाने के सम्बंध में पूछा तो बताया कि थानेदारजी ने मेरे समक्ष परिवादी श्री रूपसिंह से 40,000 रूपये लेकर चारपाई पर रख दिये थे और परिवादी रूपसिंह के जाने के बाद थानेदारजी रूपयो को चारपाई पर ही छोडकर अचानक अपनी मोटरसाइकिल लेकर भाग गये तो मेरे पिताजी के कहने पर मैं उक्त राशि परिवादी रूपसिंह को लौटा कर आया था। तत्पश्चात परिवादी रूपसिंह ने भी उक्त वार्तालाप की ताहिद की। उक्त पूछताछ की वीडियोग्राफी श्री दिलीप कुमार कानि. से स्वयं के मोबाइल से करवाई गई जिसकी फर्द वीडियोग्राफी पृथक से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात श्री घंशीराम उर्फ भगतजी एवं उसके बेटे श्री विक्रम सिंह को बाद पूछताछ अनुसंधान में आवश्यकता होने पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। उसके बाद आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक से परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली के संबंध में पूछा तो उन्होने अपने काले रंग के बैग से निकालकर एक पत्रावली पेश की जिसको जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द हाथ धुलाई पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 09.30 पीएम पर आरोपी उदयसिंह पुत्र श्री जग्गोराम उम्र 54 साल जाति धोबी निवासी गामरी पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री रूपसिंह व परिवादी के परिवारजनों की जमीन के विवाद के कारण एसडीएम भुसावर द्वारा जमीन को राज्य सरकार के अधीन लेने के लिए पुलिस थाना भुसावर से रिपोर्ट चाही गई थी उक्त रिपोर्ट को परिवादी के पक्ष में तैयार कर देने की एवज में 40,000 रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है जिस पर आज दिनांक 29.09.25 को आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर को 40,000 रूपये लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक वीवो कम्पनी का मोबाईल जिसमें जीओ व ऐयरटेल की सिम जिनके नं0 क्रमशः 7976214120 एवं 7300144120 डली हुई है एवं एक काला बैग मिला उक्त बैग में वर्दी व पहनने के कुछ कपडे एवं एक पत्रावली जिसके ऊपर मुकदमा नम्बर 293/25 मुस्तगीसा श्रीमती कमला लिखा हुआ है। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार आरोपी की पत्नि श्रीमती रेखा माथुर को दी गई एवं जामातलाशा में मिले बैग को सामान सहित एवं मोबाइल को आरोपी की पत्नि श्रीमती रेखा माथुर को लौटाया गया । पूर्व में आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा पेशशुदा परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली एवं मुकदमा नम्बर 293/25 की पत्रावली के अलावा अन्य कोई सामान व वस्तु कब्जा एसीबी नही ली गई। फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक समय 10.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की स्वयं के मोबाइल द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी व घंशीराम उर्फ भगतजी एवं विक्रम सिंह से पूछताछ की वीडियोग्राफी श्री दिलीप कुमार कानि. से करवाई गई। वीडियोग्राफी की तीन सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर दो सीडीयों को सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं तीसरी सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। फर्द वीडियोग्राफी मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.10 पीएम पर जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, वीडियोग्राफी की सीडीयों मुताबिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैडकानि. नं. 52 को सुपुर्द कर जमा मालखाना किया गया एवं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया । तत्पश्चात समय 10.12 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री जोगेन्द्रसिंह सहायक उप निरीक्षक मय सरकारी गाडी बोलेरा मय चालक विजयसिंह के आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक का बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना मथुरा गेट बंद हवालात कराने हेतु रवाना किया गया । तत्पश्चात समय 10.50 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री जोगेन्द्रसिंह सहायक उप निरीक्षक मय

सरकारी गाडी बोलेरा मय चालक विजयसिंह के आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक को बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना मथुरा गेट बंद हवालात कराकर उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात समय 11.00 पीएम पर परिवादी श्री रूपसिंह को कार्यालय में रूकने की हिदायत देकर दोनों स्वतंत्र गवाहों को सुबह 6.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 30.09.2025 समय 6.10 ए.एम पर पूर्व से पाबंदशुदा दोनों स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये । जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 06.20 ए.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.09.25 के माईक्रो एसडी कार्ड एवं वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी से निकालकर उक्त मेमोरी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 06.30 ए.एम. पर परिवादी रूपसिंह व आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 27.09.25 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ ए ” अंकित किया जाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ एम ” अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.20 ए.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 27.09.25 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैल वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.25 ए.एम. पर वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 28.09.25 व 29.09.25 के माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैल वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.30 ए.एम. पर परिवादी रूप सिंह से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप जो दिनांक 28.09.25 व 29.09.25 की रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडियाँ तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ बी ” अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “एम -1” अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 01.50 पी.एम. पर वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 28.09.25 व 29.09.25 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है, उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 02.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रूपसिंह व परिवारजनों की जमीन के विवाद के कारण एसडीएम भुसावर द्वारा जमीन को राज्य सरकार के अधीन लेने के लिए पुलिस थाना भुसावर से रिपोर्ट चाही गई थी उक्त रिपोर्ट को परिवादी के पक्ष में तैयार करने से सम्बंधित दस्तावेज जो दिनांक 29.09.25 को आरोपी के बैग से मिले थे जिनके पृष्ठ सं. 01 लगायत 16 तक है । प्रथम पृष्ठ पर कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर राज. से श्रीमान कार्यपालक महोदय उपखंड भुसावर के नाम पत्र लगा हुआ है जिस पर क्रमांक व दिनांक अंकित

नही है व पीछे के पृष्ठ पर थानाधिकारी के हस्ताक्षर नही है व पृष्ठ सं.06 पर न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट भुसावर जिला भरतपुर के पत्र क्रमांक 517 दिनांक 23.06.25 के द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना भुसावर के नाम जारी पत्र जिस पर उदयसिंह एएसआई के नाम पृष्ठांकित है। जिसमें अन्तर्गत धारा 164 बीएनएसएस का इस्तगासा सलग्न है एवं अंतिम पृष्ठ पर सुखचंद पुत्र श्री रामपाल जाति जाटव निवासी मालपुरा थाना भुसावर द्वारा पुलिस थाना भुसावर के नाम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र सलंग्न है। उक्त पत्रावली की अनुसंधान में आवश्यकता होने पर दस्तावेजात 01 लगायात 16 की छायांप्रति कराकर जरिए टेलीफोन उपस्थित आए श्री रामदयाल मीना थानाधिकारी पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर द्वारा दस्तावेजात के प्रत्येक पेज को प्रमाणित करवाये जाकर उक्त दस्तावेजात के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल दस्तावेजात को परिवादी के कार्य करने की हिदायत देकर श्री रामदयाल मीना थानाधिकारी पुलिस थाना भुसावर को सुपुर्द किया गया एवं मुकदमा नम्बर 293/25 की पत्रावली व एक वारंट एवं पत्रावली के साथ मिले हुए अन्य दस्तावेजों को श्री रामदयाल मीना थानाधिकारी पुलिस थाना भुसावर को लौटाया गया। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 2.30 पी.एम पर समय ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 73 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री पवन कुमार को दी गई। प्रकरण हाजा का नक्शा मौका पृथक से अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार किया जावेगा। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी उदयसिंह पुत्र श्री जग्गोराम उम्र 54 साल जाति धोबी निवासी गामरी पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री रूपसिंह व परिवादी के परिवारजनों की जमीन के विवाद के कारण एसडीएम भुसावर द्वारा जमीन को राज्य सरकार के अधीन लेने के लिए पुलिस थाना भुसावर से रिपोर्ट चाही गई थी उक्त रिपोर्ट को परिवादी के पक्ष में तैयार कर देने की एवज में दिनांक 27.09.25 को पेड के पत्ते पर लिखकर 50,000 रूपये की मांग करना एवं परिवादी के निवेदन करने पर पुनः पत्ते पर लिखकर 40,000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुशरण में दौराने कार्यवाही दिनांक 29.09.25 को आरोपी उदयसिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर को 40,000 रूपये लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी उदयसिंह पुत्र श्री जग्गोराम उम्र 54 साल जाति धोबी निवासी गामरी पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित की जावेगी। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री उदयसिंह पुत्र श्री जग्गोराम उम्र 54 साल जाति धोबी निवासी गामरी पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 15 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1454-57 दिनांक 29.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. पुलिस अधीक्षक, भरतपुर 3-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/10/2025 20:17:17

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)